

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय—I अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि/प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटा/बकाया देनदारियाँ	1.5	16
अध्याय—II राज्य का वित्त		
परिचय	2.1	19
2021–22 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	20
राज्य के संसाधन	2.4	21
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.5	36
लोक लेखा	2.6	58
लोक दायित्व प्रबंधन	2.7	63
नकद शेष का प्रबंधन	2.8	77
निष्कर्ष	2.9	80
अनुशांसाएँ	2.10	81
अध्याय—III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	83
विनियोग लेखे	3.2	88
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	88
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	94
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	102
अनुदान संख्या—01 “कृषि विभाग”	3.5.1	103
अनुदान संख्या—36 “लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग”	3.5.2	106
विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.6	111
जेंडर बजट की समीक्षा	3.6.1	111
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.6.2	114
हरित बजट की समीक्षा	3.6.3	116
परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा	3.7	119
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा	3.8	123
निष्कर्ष	3.9	125
संकेतक	3.10	126
अनुशांसाएँ	3.11	126

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय—IV लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य सरकार के ऋण (गैर बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	127
ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.2	128
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	4.3	128
स्थानीय जमा निधि	4.4	129
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.5	131
सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.6	133
व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.7	135
लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.8	136
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.9	139
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.10	141
नकद शेष का समाशोधन	4.11	142
लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.12	142
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	143
एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	4.14	144
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	4.15	145
लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.16	146
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.17	146
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	147
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	4.19	147
चेक एवं विपत्र	4.20	148
एकल नोडल लेखे (एस0एन0ए0)	4.21	148
निष्कर्ष	4.22	151
अनुशांसाएँ	4.23	151
अध्याय—V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)		
सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.1	153
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	153
एस0पी0एस0ई0 एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	153
एस0पी0एस0ई0 में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	155
एस0पी0एस0ई0 से प्रतिफल	5.5	155
ऋण भुगतान	5.6	157
एस0पी0एस0ई0 का वित्तीय निष्पादन	5.7	158

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0	5.8	161
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	164
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	164
एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	165
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण—सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	166
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम	5.13	167
निष्कर्ष	5.14	168
अनुशासाएँ	5.15	168

परिशिष्ट			
क्रम सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	171
1.2	31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3.2	172
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.3	173
2.2	ऋण की नकारात्मक शेष राशि	2.5.3.3	177
3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	3.3.2	179
3.2	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	180
3.3	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	182
3.4	कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	183
3.5	कुल प्रावधान में से 20 प्रतिशत एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन	3.3.4	186
3.6	2018-19 से 2022-23 के दौरान सतत् बचत (₹ 200 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान	3.3.4	188
3.7	2022-23 में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	190
3.8	अनुदानों/विनियोगों का शत प्रतिशत अनुपयोगी रहना (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और उससे अधिक)	3.4.1	191
3.9	मार्च 2023 माह में सघन व्यय	3.4.6	193

विषय सूची

परिशिष्ट			
क्रम सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.10	शत प्रतिशत व्यय मार्च 2023 में किया जाना (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)	3.4.6	194
3.11	गैर-आकस्मिक व्यय के लिए आकस्मिक निधि से आहरण	3.4.7	196
4.1	उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2023 तक बकाया थे	4.14	198
4.2	निकायों या प्राधिकरणों, जिन्होंने नि०म०ले०प० को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है	4.15	200
5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	5.3	202
5.2	31 जुलाई 2023 तक सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.3	204
5.3	2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान, एस0पी0एस0ई0 में निवेशित निधियों को दर्शाती विवरणी	5.7.3	207
5.4	31 जुलाई 2023 तक संचित हानियों वाले एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.8.2	211
5.5	31 जुलाई 2023 तक, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, बकाया लेखाओं से संबंधित सूचना	5.11.2	213
	संकेताक्षरों की शब्दावली		217